न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/135/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/433

अपीलार्थी

श्री घनश्याम मिश्रा,
नि0 वार्ड नं.29, सैनी विद्या मन्दिर के पास,
बांदीकुई, जिला–दौसा (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
जिला रसद अधिकारी, अलवर

प्रवेश तिथि :: 07.10.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 01.11.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः – के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर श्री सूरजमल शर्मा, राशन डीलर, रैणी के विरूद्ध की गई जॉच कार्यवाही, जॉच में राशनकार्ड जब्ती, एफ.आई.आर. आदि संबंधी 01 लगायत 09 बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांकः –(इस न्यायालय को दिनांकः 06.10.2022 को प्राप्त) के माध्यम से इस न्यायालय को प्रथम अपील संस्थित कराई गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया, प्रत्यर्थी की ओर से सुनवाई हेतु कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. रसद/आरटीआई/2022/2586 दिनांकः 21.10.2022 के माध्यम से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी के सूचना आवेदन, प्रथम अपील प्रा0पत्र एवं प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस का विधिक परीक्षण किया गया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना आवेदन–पत्र दिनांकः – के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर **प्रथम अपील में जारी नोटिस के उपरांत** पत्र सं. रसद/आरटीआई/2022/2579 दिनांकः 20.10.2022 के माध्यम से जवाब इस न्यायालय को जवाब प्रस्तुत किया गया है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मूल भावना, उद्देश्यों के प्रतिकूल है व सूचना आवेदनों के निस्तारण के प्रति आपकी उदासीनता का परिचायक है। अतः भविष्य में इस अधिनियम अंतर्गत प्राप्त **सूचना आवेदनों पर विहित समयावधि में ही विनिश्चय** किया जाना सुनिश्चित करावें।
8. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा, अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित कर दिए जाने के कारण **अपील खारिज की जाकर निस्तारित** की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 01.11.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)